भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2382

जिसका उत्तर 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

बिहार में "भू-नीर" पोर्टल का शुभारंभ

2382. श्री अरुण भारती:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बिहार राज्य में भूजल निकासी परमिट जारी करने के लिए "भू-नीर" पोर्टल शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या पैन-आधारित एकल आईडी प्रणाली और क्यूआर कोड-सक्षम एनओसी पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "भू-नीर" पोर्टल बिहार राज्य में भू-जल प्रबंधन और निकासी से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने में भूमिका निभाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पोर्टल सतत जल उपयोग के उद्देश्यों और जल संरक्षण प्रयासों पर इसके प्रभाव के अनुरूप है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने पूरे बिहार राज्य में पोर्टल को अपनाने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): "भू-नीर" एक नवीन अत्याधुनिक पोर्टल है, जिसे हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) द्वारा भूजल निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) हेतु आवेदन के लिए एक त्वरित और सुगम प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हुए देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन के लिए एक सुचारू और कुशल प्रक्रिया प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया है। भूजल निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित परियोजना प्रस्तावकों/प्रयोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों द्वारा भू-नीर पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। इन राज्यों में सीजीडब्ल्यूए द्वारा भूजल का विनियमन किया जा रहा है। इन राज्यों में बिहार भी शामिल है।

इस पोर्टल को कई उन्नत एवं सरल विशेषताओं के साथ विकसित किया गया है ताकि भूजल उपयोग में पारदर्शिता, दक्षता और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। भू-नीर पोर्टल की कुछ नवीनतम और उपयोक्ता अनुकूल विशेषताओं में आवेदन करने से पहले पात्रता जानने के लिए पात्रता की जांच करना, *ऑनलाइन शुल्क कैलकुलेटर,* सीजीडब्ल्यूए अधिकारियों के साथ वन टू वन संपर्क के लिए *क्वेरी मॉड्यूल, आवेदन की स्थिति पर रियल टाइम एसएमएस और ई-मेल अलर्ट* आदि शामिल है। इनमे विशेष रूप से, *पैन आधारित सिंगल आईडी सिस्टम* की विशेषता भी शामिल है जो अन्य मॉड्यूल के साथ इसे प्रक्रिया हेतु सुलभ बनाती है तथा इसे भुगतान गेटवे और क्यूआर कोड सक्षम एनओसी की विशेषता से युक्त किया गया है ताकि *बढ़ी हुई सुरक्षा और सत्यापन की आसान प्रक्रिया को अपनाया जा सके।*

(ग) और (घ): भू-नीर पोर्टल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अधिसूचित दिनांक 24.09.2020 के दिशानिर्देशों के अनुसार उद्योगों, अवसंरचनात्मक और खनन परियोजनाओं द्वारा भूजल की निकासी के लिए एनओसी के ऑनलाइन आवेदन और प्रसंस्करण के उद्देश्य विकसित किया गया है। इस पोर्टल को भूजल विनियमन के लिए उक्त दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए डिज़ाइन किया गया है, इस प्रकार यह भूजल निष्कर्षण से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भूजल के अंधाधुंध दोहन को रोकने के लिए बनाए गए दिशा-निर्देशों को लागू करने में सहायता कर भू-नीर बिहार सहित पूरे देश में भूजल संसाधनों के सतत विकास और प्रबंधन में योगदान देता है।

इसके अतिरिक्त इस पोर्टल का उद्देश्य परियोजनाओं को दिशा-निर्देशों में निर्धारित जल संरक्षण उपायों का अनुपालन यथा छत के वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण और सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना आदि हेतु सक्षम बनाना है ताकि धुलाई, बागवानी आदि के लिए इसका उपयोग किया जा सके।

(ङ): माननीय जल शक्ति मंत्री द्वारा भू-नीर पोर्टल को व्यापक स्तर पर लॉन्च किया गया था। बिहार सहित इस विषय पर राष्ट्रव्यापी समाचार कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से भू-नीर पोर्टल के शुभारंभ पर मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी।

इसके अतिरिक्त, सीजीडब्ल्यूए द्वारा भूजल निष्कर्षण के लिए परियोजना प्रस्तावकों द्वारा भू-नीर पोर्टल की प्रक्रिया को व्यापक रूप से अपनाने और जागरूकता सृजन हेतु विभिन्न चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ कार्यशालाएं एवं जन संपर्क कार्यक्रम (पीआईपी) आयोजित किए जा रहे हैं।

*****